न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 67/2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024/70

1. कप्तान खां पुत्र काबचे खां जाति मुसलमान निवासी केला तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ) छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अली शेर पुत्र कप्तान खां मुसलमान नि. केला तह. छतरगढ़।
3. मकबूल खां पुत्र भीखे खां सिंधी मुसलमान नि. राजासर भाटियान तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री जयचन्द लाल सारस्वत
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 — राजकीय अभिभाषक
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 — श्री महेश सुथार

निर्णय

दिनांक 06.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ जिला बीकानेर के आदेश दिनांक 01.05.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही नापासरीया स्थित खसरा नंबर 519/54 तादादी 18.9675 हैक्टयर बारानी गैर खातेदारी भूमि अपीलांट के नाम आवंटनशुदा थी। तहसीलदार छतरगढ़ ने उक्त वादगत भूमि का इंतकाल सख्या 424 दिनांक 20.11.2023 अपीलांट के नाम स्वीकृत किया। तहसीलदार छतरगढ़ ने उक्त इंतकाल संख्या 424 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ ने अपीलांट के पक्ष में दर्ज इंतकाल संख्या 424 दिनांक 20.11.2023 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टेट के प्रतिनिधि तहसीलदार द्वारा स्वयं के ही स्वीकृत इंतकाल संख्या 424 के विरूद्ध यह

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कहकर अपील प्रस्तुत की गई है कि उक्त नामांतरण उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा जारी संदर्भित आवंटन आदेश की अनुपालना में दर्ज किया गया हैं जो विधिविरूद्ध है, जो पुष्टि कराये बिना रिकॉर्ड में अंकन किया गया है, का तथ्य स्वयं ही परस्पर विरोधाभाषी है। क्योंकि यह तथ्य नामांतरण संख्या 424 स्वीकृत करते समय तत्समय तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध रहे थे इसके अलावा विवादित इंतकाल की परिभाषा में आता है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ को प्राप्त ना होकर संभागीय आयुक्त बीकानेर को हासिल है। इस लिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी प्रसिक्षु आईएएस अधिकारी श्रीमान यक्ष चौधरी की जांच रिपोर्ट पर अपीलांट के अलावा अन्य सैकडों नामांतरण/आवंटन/खातेदारी विधिविरूद्ध होने की सिफारिश पर जिला कलक्टर, बीकानेर के समख पेश की गई और तहसीलदार छतरगढ को ऐसे मामलों की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए कहा जिसकी पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ में क्षेत्राधिकार से बाहर उक्त मामलों की अपीलें पेश की गई, जिसे स्वयं प्रशिक्षु आई.ए.एस अधिकारी यक्ष चौधरी द्वारा बहैसियत उपखण्ड अधिकारी छतरगढ सुनी जाकर बिना किसी आधार के ही अपने स्वयं की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के 519/54 तादादी 18.9675 हैक्टयर का आवंटन शून्य मानकर जैर अपील आदेश द्वारा इंतकाल संख्या 424 को खारिज फरमाया, जो आदेश स्वच्छ न्याय की श्रेणी में नही होने से स्वतः ही शून्य है। उक्त वादगत भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया था और उक्त रकबा पर निरंतर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त अपीलांट की चली आ रही थी और रिकॉर्ड में गैर खातेदारी अंकन किया गया। उक्त के आधार पर दिनांक 20.11.2023 को रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदारी अपीलांट का नाम दर्ज किया गया जिसमे किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं रहीं। अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल संख्या 424 दिनांक 20.11.2023 जो विधिसम्मत दर्ज किया गया। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 01.05.2024 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल संख्या 424 दिनांक 20.11.2023 को बहाल घोषित किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि तथाकथित आवंटन वर्ष 1988 होना बताया गया। इस आवंटन का ना तो कब्जा लिया गया और ना ही इस आवंटन के कब्जा देने संबंधित कोई राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया और ना ही पटवारी रिपोर्ट में इस बाबत कोई उल्लेख किया गया। वर्ष 1988 से 2022 तक उक्त तथाकथित आवंटन का नामांतरण नही चढवाया और मौके कभी भी मौके पर काबिज भी नही रहा। इस प्रकार उक्त तथाकथित आवंटन नियमों के अनुसार स्वतः ही शून्य हैं। उक्त तथाकथित आवंटन आदेश शून्य होने पर उनके आधार दर्ज इंतकाल भी स्वतः ही शून्य होता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 नियमानुसार पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित करते हुए बताया कि उक्त वादगत भूमि वर्ष 1988 में कथित आवंटन हुआ है। इस आवंटन का ना तो कब्जा लिया गया है और ना ही इस आवंटन का कब्जा देने बाबत किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन किया गया ना ही पटवारी रिपोर्ट में इस बाबत कोई उल्लेख किया गया है। वर्ष 1971 से 2022 तक कथित आवंटन का नामातरण नही चढवाया, ऐसी स्थिति में वह कभी भी मौके पर काबिज भी नही रहा है और ना ही ही इन वर्षो में कभी कथित आवंटन भूमि का काश्त की। उक्त स्थिति में कथित आवंटन आदेश आवंटन नियमों के अनुसार स्वतः ही अस्तित्वहीन व शून्य हो जाने के कारण ऐसे आदेश का 52—53 वर्षो के बाद ना तो तहसीलदार द्वारा हुआ और ना ही राजस्व मातहत अमला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जा सकता है ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश प्रारंभ से ही शून्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो न्यायोचित है। अतः हम उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर